राजस्थान सरकार
कार्यालय श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर
www.labour.rajasthan.gov.in
http://ldms.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.16(2)बा.श्र./जनरल/2019 / 7470 - 7503 जयपुर, दिनांकः 3-4-2020

सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त /उप/सहायक
श्रम आयुक्त ———
श्रम कल्याण अधिकारी————।

विषय : कोरोना वायरस (कोविड–19) कि चलते लोकडाउन अवधि में बाल श्रमिकों की रहने, भोजन आदि की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड–19) कि चलते पूरे देश में लोकडाउन लागू किया हुआ है तथा इस अवधि में किसी भी श्रमिक को सेवा से मुक्त न करने, उसके रहने खाने की उचित व्यवस्था करने एवं पूरी मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा समसंख्यक पत्र दिनांक 30–3–2020 के द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है।

इसी क्रम में हाल ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी में आया है कि नियोजकों द्वारा कुछ जगह बाल श्रमिकों को वर्तमान हालात में बिना मजदूरी एवं खाने पीने की व्यवस्था के अलग अलग स्थानों पर रखा जा रहा है। यद्यपि प्रदेश में बाल श्रमिकों के नियोजन पर पूर्णतः पाबन्दी है तथापि यदि किसी स्थान पर किसी नियोजक द्वारा बाल श्रमिकों को इस प्रकार नियोजन की, बिना खाने पीने की व्यवस्था के रखे जाने की जानकारी प्राप्त होती है, तो तुरन्त नियोजक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे एवं बाल श्रमिकों को तत्काल मुक्त कराकर उनके रहने खाने की व्यवस्था जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर की जावे।

भवदीय,

(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

दूरभाष : 0141– 2450781 टेलीफेक्स 0141–2450782 ईमेल : lab-comm-rj@nic.in
श्रम भवन, शांतिनगर, हसनपुरा, एन.बी.सी. के सामने, खातीपुरा रोड, जयपुर–302006